कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना (म0प्र0)

क्रमांक/ 172 /8/एस.डब्ल्यू/2020 सतना, दिनांक 30.03.2020

// आदेश //

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन आदेश अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के पालन में सतना जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/160/एस.डब्ल्यू./2020 सतना दिनांक 23 मार्च 2020 एवं आदेश 163/एस.डब्ल्यू./2020 सतना दिनांक 26 मार्च 2020 के अनुक्रम में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये लॉकडाउन से मुक्त रखी गई सेवाओं में निम्नलिखित सेवाओं को समाहित करते हुये **लॉकडाउन से मुक्त** किया जाता है :-

(A) प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक सेवाएँ -

1. राशन, भोजन, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी-दूध, मांस-मछली के प्रतिष्ठान।
2. पशु चिकित्सा, पशु आहार, पोल्ट्री, पोल्ट्री फीड, पशु चारा के प्रतिष्ठान।
3. अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान।
4. केमिस्ट, फार्मासिस्ट, चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशाला, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि।
5. फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा, चिकित्सा सेवाएँ, क्लीनिक आदि।
6. बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम संचालन, बैंकिंग संवाददाता।
7. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
8. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं।
9. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
10. विद्युत उत्पादन एवं वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
11. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
12. निजी एवं अन्य सुरक्षा सेवाएँ।
13. ई-कॉमर्स कंपनियो (वस्तुओं तथा सेवाओं की होम डिलेवरी से संबंधित कंपनियों) एवं संबंधित वेयरहाउस।
14. मास्क तथा बॉडी सूट बनाने वाली कंपनियों।
15. सोप, सेनेटाईजर, फिनाईल तथा सफाई का सामान बनाने वाली कंपनियों।

(B) **कृषि कार्य एवं सेवाएँ -**

1. खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन।
2. हार्वेस्टर, ट्रेक्टर आदि फार्म मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)।
3. उर्वरक, बीज और कीटनाशक के प्रतिष्ठान।
4. कंडिका 8 में वर्णित फार्म मशीनरी से संबंधित स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत के प्रतिष्ठान।
5. कृषि उत्पादों की खरीद/उपार्जन में लगी एजेंसियों/समितियों संचालन ।
6. कृषि उपज मंडी समिति का संचालन।
7. उपार्जन से सम्बंधित सेवाएँ जैसे की भण्डारण, बारदाना, सुता, सिलाई मशीन, साइलो आदि।

(C) **उद्योग एवं उत्पादन इकाइयां -**

1. दवाओं, दवा, चिकित्सा उपकरण, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती।
2. आटा चक्की, आटा, दाल, तेल, खाद्य, साबुन, सर्फ आदि आवश्यक सामग्री की मिलें।
3. कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति।
4. खाद्य पदार्थों, दवाओं, मास्क आदि आवश्यक वस्तुओं के लिए पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयाँ।
5. उर्वरक, कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ।
6. आवश्यक वस्तु/सामग्री निर्माण हेतु जिला कलेक्टर की अनुमति उपरान्त अन्य इकाइयां।

(D) **परिवहन सेवाएँ -**

1. कंडिका 1, 2, 3 अनुसार आवश्यक वस्तुओं के लिए परिवहन।
2. आग, कानून और व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं।
3. पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं का क्रॉस बॉर्डर आवागमन।
4. कटाई और बुवाई से संबंधित उपकरण जैसे की हार्वेस्टर और अन्य कृषि / बागवानी उपकरण का जिला में एवं अंतर-राज्य परिवहन।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिसटेनसिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(अजय कटेसरिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना म.प्र.

पृ0क्रमांक/ 172 /एस.डब्ल्यू./2020 सतना,दिनांक 30.03.2020

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. कमिश्नर, रीवा सम्भाग रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त, नगर निगम, जिला सतना ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें।
9. जिला कार्यालय प्रमुख समस्त .... जिला सतना की ओर सूचनार्थएवं पालनार्थ।
10. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त), जिला सतना की ओर पालनार्थ। कृपया अपने स्तर से उपरोक्त आदेश में उल्लिखित प्रभावित व्यक्तियों/संस्थानों को आदेश तामीली एवं पालन सुनिश्चित करावें।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, जिला सतना ।
12. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सतना। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला सतना म.प्र.